रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3344] नई दिल्ली, शुक्रवार अगस्त 24, 2018/भाद्र 2, 1940
No. 3344] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 2018/BHADRA 2, 1940

वित्त मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

का.आ. 4149(अ).— विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) 31 दिसंबर, 2016 से लागू हुआ था ;

और उक्त अधिनियम को लोक हित में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों पर दायित्वों की समाप्ति और उससे उपाबद्ध या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था ;

और अधिनियम की धारा 5 विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को रखने, अंतरण करने या प्राप्त करने का प्रतिषेध करती है तथा उसका परंतुक कतिपय मामलों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनमें विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को रखने को अनुज्ञात किया जा सकेगा ;

और विधि प्रवर्तन अभिकरणों ने न्यायालय के विनिर्दिष्ट निदेशों के बिना 30 दिसंबर, 2016 को या उससे पूर्व विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का अभिग्रहण किया था या जब्त किया था तथा ऐसे विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को, यथास्थिति, उनके अभिग्रहण या जब्ती के लिए ऐसे अभिग्रहण या जब्ती को प्राधिकृत करने वाले दस्तावेजों को न्यायालय के निदेशों के बिना ऐसे नोटों को जमा किया गया या उनका विनिमय किया गया है ;

और अधिनियम की धारा 5 में प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा अभिग्रहण या जब्त किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के ऐसे जमा करने को प्राधिकृत करने वाला कोई उपबंध नहीं है ;

और इस कठिनाई को दूर करने के लिए अधिनियम की धारा 5 का संशोधन करना आवश्यक समझा गया है ;

और केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त कठिनाई को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1.	(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट बैंक नोट, (दायित्वों की समाप्ति) कठिनाईयों को दूर करना आदेश, 2018 है। (2) यह उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
2.	विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- "(घ) प्रवर्तन अभिकरणों, जैसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, यथास्थिति, ऐसे अभिग्रहण या जब्ती को प्राधिकृत करने वाले दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर।"।	अधिनियम की धारा 5 का संशोधन।

[फा. सं. 10/5/2017-सीवाई I]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2018

S.O. 4149(E).— Whereas the Specified Bank Notes (Cessation of liabilities) Act, 2017 (2 of 2017) (hereinafter referred to as the ''Act") came into force with effect from the 31st day of December, 2016;

And whereas the said Act was enacted with a view to provide in the public interest for the cessation of liabilities on the specified bank notes and for matters connected therewith or incidental thereto;

And whereas section 5 of the Act provides prohibition on holding, transferring or receiving specified bank notes and its proviso specifies certain cases, where holding of specified bank notes may be allowed;

And whereas law enforcement agencies had seized or confiscated the specified bank notes on or before 30th day of December, 2016 without specific directions from the court and need to deposit or exchange such specified bank notes on production of the documents authorising such seizure or confiscation, as the case may be, without directions from the court;

And whereas there is no provision in section 5 of the Act to authorise such deposit of the specified bank notes seized or confiscated by the enforcement agencies;

And whereas in order to remove the difficulty, it is considered necessary to amend section 5 of the Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Act, the Central Government hereby makes the following order to remove the aforesaid difficulty, namely:-

1.	(1) This order may be called the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Removal of Difficulties Order, 2018. (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.	Short title and commencement
2.	In the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Act, 2017, in section 5, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:- "(d) by the law enforcement agencies, such as the Central Board of Direct Taxes, Central Board of Indirect Taxes and Enforcement Directorate on production of the documents authorising such seizure or confiscation, as the case may be.".	Amendment of section 5 of the Act

[F. No. 10/5/2017- Cy. I]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.08.28 10:48:07 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.